

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या - 257 / 2021

निर्णय दिनांक :- 28/2/22

उनवानी प्रार्थना पत्र -

1. रामदेव पुत्र लालाराम जाति मीणा निवासी रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सीताराम पुत्र लालाराम जाति मीणा निवासी रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुन्दर पुत्री लालाराम जाति मीणा निवासी रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नेराजी पुत्री लालाराम जाति मीणा निवासी रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. मगदू देवी बेवा लालाराम जाति मीणा निवासी रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 202 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम रूपारेल तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2074-77 में अंकित आराजी खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 202 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम रूपारेल की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

A. S. S.
उपखण्ड अधिकारी
देवली